फा.सं.19(1)/2024-विधायी-I
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

एस-60, संसद भवन,
नई दिल्ली।
तारीख: 27.11.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट - बजट सत्र, 2025 के दौरान संसद सदस्यों को परिचालन।**

*****

सभी मंत्रालयों से अनुरोध है कि वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपांतरों में तैयार कर लें। अनुदान मांगों को संबंधित विभागीय स्थायी समितियों को उनके विचारार्थ भेजने से पहले इन्हें एक-साथ संसद सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

2. वार्षिक रिपोर्ट में 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक के वास्तविक आंकड़े शामिल किए जाने चाहिए तथा जनवरी-मार्च, 2025 की अवधि के लिए योजना अथवा अनुमान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, नीचे पैरा 3 में दर्शाए अनुसार लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, पत्र सूचना कार्यालय आदि को वार्षिक रिपोर्ट की आपूर्ति में इस कारण विलंब नहीं होना चाहिए कि इन रिपोर्टों में 31 मार्च, 2025 तक के वास्तविक आंकड़े दिए जाने हैं।

3. लोक सभा सचिवालय को वार्षिक रिपोर्ट की नीचे उल्लिखित हार्ड प्रतियों के साथ-साथ **lss.legis1@sansad.nic.in** पर ई-मेल में उसकी सॉफ्ट प्रति की भी आवश्यकता होगी:

अंग्रेजी/हिंदी रूपांतर	:	दोनों की 25-25 प्रतियां
द्विभाषी या हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर एक ही जिल्द में	:	25 प्रतियां

यदि वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं तो निम्नलिखित संख्या में हार्ड प्रतियां भेजी जाएं:

अंग्रेजी/हिंदी रूपांतर	:	दोनों की 70-70 प्रतियां
द्विभाषी या हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर एक ही जिल्द में	:	70 प्रतियां

....2/-

4. राज्य सभा सचिवालय को वार्षिक रिपोर्ट की नीचे उल्लिखित हार्ड प्रतियों के साथ-साथ **rslegis@sansad.nic.in** पर ई-मेल में उसकी सॉफ्ट प्रति की भी आवश्यकता होगी:

अंग्रेजी/हिंदी रूपांतर : 05/02 प्रतियां

अथवा

द्विभाषी या हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर एक ही जिल्द में : 05 प्रतियां

5. पत्र सूचना कार्यालय आदि के लिए अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

क्र.सं.	**संस्था**	**अंग्रेजी रूपांतर**	**हिंदी रूपांतर**	**द्विभाषी या हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर दोनों एक जिल्द में**
(i)	पत्र सूचना कार्यालय **नोट:** सॉफ्ट प्रति pibparliamentaryaffairs@gmail.com; पर ई-मेल में भेजी जाए।	03	03	00
(ii)	संसदीय कार्य मंत्रालय **नोट:** सॉफ्ट प्रति avinash.k@nic.in पर ई-मेल में भेजी जाए।	2	2	2
(iii)	राज्य सरकारें (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित)	2	2	2
(iv)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	2	2	2
(v)	उप निदेशक, अर्जन अनुभाग, संसद ग्रंथालय	5	5	5

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(मनीष गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23083871

सभी मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार,
(संसद अनुभाग),
नई दिल्ली।